न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा।

उपस्थितः राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2008

सत्र परीक्षण सं0—344/2012
(C.N.R. No.-UPET010012342012)

राज्य ———————अभियोगी

बनाम

1. कैलाश पुत्र मुरलीधर,
निवासी ग्राम नूरपुर, थाना सकीट,
जिला एटा।
2. रामविलास उर्फ पप्पू उर्फ रामनिवास **(दि0 10.01.2022 को उपशमित)**
पुत्र ईश्वरीप्रसाद, निवासी नगला कंचन,
थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।
3. सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र पुत्र गीतम सिंह, **(दि0 25.09.2025 को उपशमित)**
निवासी उलायतपुर, थाना कोतवाली देहात,
जिला एटा। ——————अभियुक्तगण

मु0अ0सं0—130/2012
धारा—302/34,201 भा0दं0सं0
थाना—मिरहची, जिला एटा।

एवं

सत्र परीक्षण सं0—345/2012
(C.N.R. No.-UPET010012332012)

राज्य ———————अभियोगी

बनाम

कैलाश पुत्र मुरलीधर,
निवासी ग्राम नूरपुर, थाना सकीट,
जिला एटा। ——————अभियुक्त

मु0अ0सं0—139/2012
धारा—25 आयुध अधिनियम।
थाना—मिरहची, जिला एटा।

निर्णय

01. चूँकि दोनों ही मामले एक ही घटना से संबंधित हैं, जिस कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2014 द्वारा दोनों मामलों को

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.08.10 16:06:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

समेकित करते हुए सत्र परीक्षण सं0 344/2012, राज्य बनाम कैलाश आदि को अग्रणी वाद बनाया गया। अतः न्यायिक सुविधा की दृष्टि से दोनों ही सत्र परीक्षण वादों का निस्तारण संयुक्त रूप से एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

02. अभियुक्तगण कैलाश, रामविलास उर्फ पप्पू उर्फ रामनिवास व सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र का विचारण पुलिस थाना मिरहची, जिला एटा द्वारा मु0अ0सं0 130/2012 में विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 302/34,201 भा0दं0सं0 व अभियुक्त कैलाश का विचारण पुलिस थाना मिरहची, जिला एटा द्वारा मु0अ0सं0 139/2012 में विवेचना के उपरांत प्रेषित आरोप–पत्र अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के आधार पर किया गया। अभियुक्तगण कैलाश, रामविलास उर्फ पप्पू उर्फ रामनिवास व सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र के केस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द किये गये।

03. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा गीता पत्नी मुन्नालाल, निवासी नूरपुर, थाना सकीट, जिला एटा ने इस आशय का हस्तलिखित प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.05.2012 को लेखक मोहनलाल पुत्र वेदराम, निवासी ग्राम नगला वन, थाना भोगॉव, जिला मैनपुरी से लिखवाकर थाना मिरहची, जिला एटा पर इस आशय का दिया कि वह नूरपुर, थाना सकीट, जिला एटा की रहने वाली है। उसके जेठ प्रेमसिंह, जो दिमाग से कमजोर हैं, उनकी जमीन करीब दो बीघा, जो ग्राम कुसाड़ी, एटा के पास है, 22 लाख में विजनेश पुत्र रामखिलाडी, निवासी ग्राम शीतलपुर, थाना कोतवाली नगर, एटा को 08 महीने पहले बेची थी, जिस पर उसके जेठ चरन सिंह, लोकमन व उसके पति मुन्नालाल ने मुकदमा न्यायालय कर रखा था तथा उसके पति अपने मामा डिप्टी सिंह पुत्र सरमन सिंह, निवासी ग्राम नूरपुर के यहॉ रहते थे। वह भी उन्हीं के साथ रहती थी। मामा के कोई लड़का नहीं है, जिन पर 22 बीघा जमीन है। उसके जेठ प्रेम सिंह द्वारा बेची गयी जमीन के मुकदमे में दिनांक 30.05.2012 थी। आज दिनांक 29.05.2012 को समय करीब 08:00 बजे कैलाश पुत्र मुरलीधर, निवासी ग्राम नूरपुर, थाना सकीट एटा उसके पति के मामा की जमीन हड़पना चाहता था तथा सुन्दर पुत्र गीतम, निवासी गॉव उलायतपुर, थाना बागवाला, जिला एटा व पप्पू उर्फ रामविलास निवासी गॉव कंचन नगला, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा मुकदमे में फैसला कराने के लिये सुबह करीब 08:00 बजे उसके घर आये और उसके पति को एटा की कहकर घर से ले आये। इन लोगों को उसकी लड़की पूनम, जेठ चरन सिंह व मामा के लड़के वीरपाल पुत्र हंसराज, निवासी ग्राम नूरपुर ने देखा है। आज दिनांक 29.05.2012 को उसे सूचना मिली कि उसके पति की हत्या कर लाश काजी खेड़ा गॉव के जंगल नहर के किनारे फैंक दी है। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके पति की हत्या कैलाश, सुन्दर व रामविलास ने गला दबाकर व गोली मारकर की है। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये।

04. वादिनी मुकदमा के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना मिरहची, जिला एटा में मु0अ0सं0 130/2012, धारा 302,201 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.05.2012 को समय 17:35 बजे अभियुक्तगण कैलाश, सुन्दर व पप्पू उर्फ रामविलास के विरूद्ध पंजीकृत की गयी,

जिसका इंद्राज जी0डी0 सं0 32 दिनांकित 29.05.2012 को समय 17:35 बजे में किया गया।

05. तदोपरांत दिनांक 10.06.2012 को अभियुक्त कैलाश को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जीवित कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। फर्द बरामदगी का विवरण निम्न प्रकार है:–

आज दिनांक 10.06.2012 को वादी आर0एस0 मौर्या थानाध्यक्ष मय हमराही कॉ0 795 विनीत कुमार, कॉ0 337 कृपाल सिंह, मय जिप्सी सरकारी नं0 यू0पी0 82जी 0041 चालक कॉ0 23 संदीप कुमार के थाना हाजा से वहवाले रपट सं0 24, समय 12:15 बजे वास्ते विवेचना/तलाश वांछित अपराधी एंव देखरेख शांति–व्यवस्था अंदर इलाका थाना हाजा में मामूर थे कि जैसे ही वह कस्बा मिरहची आये, तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुन्नालाल की हत्या का वांछित अभियुक्त कैलाश गॉव उलायतपुर अपने साथी से मिलकर अचलपुर किसी के यहॉ जाने वाला है। यदि जल्दी की जाये, तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके आसनाहे राह से जनता के गवाहान फराहम करने की कोशिश की, तो कोई भी जनता का व्यक्ति गवाही को तैयार नहीं हुआ। अतः वमजबूरी उन्होंने एक–दूसरे की जामा–तलाशी लेन्देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई जुर्म संबंधी वस्तु नहीं है, मुखबिर को साथ लेकर बताये स्थान को चलकर ग्राम अचलपुर से एल0पी0एस0एस0 इंटर कॉलेज के सामने आये, तो मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि सामने से आ रहा व्यक्ति ही कैलाश है। मुखबिर चला गया। पुलिस वालों ने आ रहे व्यक्ति के पास ही गाड़ी एकदम खडी की, तो यह व्यक्ति पीछे ममुडकर कॉलेज की खाली पड़ी जमीन से भागा कि एकबारगी दबिश देकर घेरकर आवश्यक बलप्रयोग करके कॉलेज से करीब 100 मीटर की दूरी पर खाली खेत में समय करीब 14:30 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम–पता पूछते हुए जामा–तलाशी ली गयी, तो इस व्यक्ति ने अपना नाम कैलाश बताया। जामा–तलाशी से पहने पेंट की बॉयी फैंट से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाजायज, जिसकी कुल लम्बाई एक बालिस्त, चार अंगुल, नाल लोहा लम्बाई 08 अंगुल, नाल के अंत में नीचे ट्रैगर गार्ड तथा बॉयी तरफ नाल खोलने बंद करने के लिये स्प्रिंगदार बटन लगा हुआ तथा ऊपर हैमर लगा हुआ बॉडी की दाहिनी तरफ लोहे की उभरी हुई पत्ती लगी है। बट लोहे का चार अंगुल, जिसके दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगी स्क्रू से कसी है, चालू हालत में बरामद हुआ तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर जिसकी पैंदी पर 8 एमएमकेएफ लिखा है, बरामद हुए। बरामद तमंचा व कारतूसों के संबंध में पूछा गया, तो बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी तमंचा से मुन्नालाल, जो उसके ताऊ के लड़के की पत्नी गीता का आदमी है, की हत्या गोली मारकर दिनांक 29.05.2012 को की थी तथा यह खोखा भी बही है, जो उसने मुन्नालाल को गाली मारी थी। अभियुक्त थाना हाजा के मु0अ0सं0 130/2012, धारा 302,201 भा0दं0सं0 में वांछित अभियुक्त है। बरामद तमंचा व कारतूसों को एक कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर मुरत्तिवव करके फर्द का मजबून हमराही पुलिस बल को पढ़कर सुनाकर गवाहों के हस्ताक्षर

बनवाये जा रहे हैं। गिरफ्तारी के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेश/निर्देशों का अक्षरशः पाल किया गया। गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुँचकर उसके परिजनों को उचित माध्यम से दी गयी। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 25 आयुध अधिनियम से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लिया गया।

06. उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना मिहरची, जिला एटा में मु0अ0सं0 139/2012, धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.06.2012 को समय 16:10 बजे अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध पंजीकृत की गयी, जिसका इंद्राज जी0डी0 सं0 27 दिनांकित 10.06.2012 को समय 16:10 बजे में किया गया।

07. सम्बन्धित विवेचनाधिकारी द्वारा मामलों की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान कई विवेचकों द्वारा विवेचना की गयी तथा अंत में सम्बन्धित विवेचनाधिकारी ने आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये गये, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किये एवं मामलों से सम्बन्धित आवश्यक विवेचना सम्पादित कर उपरोक्त अभियुक्तगण कैलाश, रामविलास उर्फ पप्पू उर्फ रामनिवास व सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 302,201 भा0दं0सं0 एवं अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किये गये।

08. आरोप–पत्रों पर संज्ञान लेकर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान की गयी।

09. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03, एटा के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2013 को अभियुक्तगण कैलाश, रामविलास उर्फ पप्पू उर्फ रामनिवास व सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र के विरुद्ध धारा 302/34,201 भा0दं0सं0 व अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक–पृथक विरचित किया गया, जिनसे अभियुक्तगण ने इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

10. दोनों सत्र परीक्षणों का विचारण एक साथ किया गया।

11. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को, मौखिक साक्ष्य में न्यायालय में परीक्षित कराया गयाः–

1. पी0डब्लू0–01 श्रीमती गीता (साक्षी तहरीर प्रदर्श क–01)
2. पी0डब्लू0–02 पूनम
3. पी0डब्लू0–03 डॉ0 इंतजार हुसैन (साक्षी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–02)
4. पी0डब्लू0–04 एस0आई0 रामसिया मौर्य (साक्षी फर्द मिट्टी सादा व खून आलूदा प्रदर्श क–03, नक्शा–नजरी प्रदर्श क–04, पंचायतनामा प्रदर्श क–05, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–06, चिट्ठी आर0आई0 प्रदर्श क–07, फोटो नाश प्रदर्श क–08, फर्द बरामदगी तमंचा प्रदर्श क–09, नक्शा–नजरी आला कत्ल बरामदगी प्रदर्श क–10, आरोप–पत्र धारा 302/201 भा0दं0सं0 प्रदर्श क–11, तमंचा वस्तु

प्रदर्श–01, जीवित कारतूस 315 बोर वस्तु प्रदर्श–02 व खोखा कारतूस वस्तु प्रदर्श–03)

5. पी0डब्लू0–05 एस0आई0 सत्य सिंह (साक्षी चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–12 व उसकी कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–13)

6. पी0डब्लू0–06 एस0आई0 जसवंत सिंह (साक्षी नक्शा–नजरी आला–कत्ल बरामदगी प्रदर्श क–14, आरोप–पत्र आला कत्ल प्रदर्श क–15, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–16, चिक एफ0आई0आर0 आला कत्ल बरामदगी प्रदर्श क–17 व उसकी कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–18)

12. अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अलावा, अन्य किसी साक्षी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

13. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दर्ज किये गये। अभियुक्त ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षी पी0डब्लू0 01 व पी0डब्लू0 02 द्वारा गलत व झूठा बयान देना, साक्षी पी0डब्लू0 03 द्वारा पुलिस के अनुसार बयान देना, साक्षी पी0डब्लू0 04 द्वारा मनमानी कार्यवाही कर पी0डब्लू0 05 द्वारा झूठा केस लगाना बताया। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 06 द्वारा गलत व मनमानी साक्ष्य देना बताया। अभियुक्त ने यह भी कथन किया कि गीता देवी रामनिवास की पत्नी थी। रामनिवास को गीता ने मरवाया तथा जमीन लेने की वजह से उसे फंसाया। साक्षीगण द्वारा रंजिश व षड्यंत्र के आधार पर उसके खिलाफ साक्ष्य दी गयी है। गीता देवी फर्जी मुन्नालाल की पत्नी बनी व झूठा केस किया।

14. अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने हेतु कहा। अभियुक्तगण पक्ष की तरफ से अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य/सफाई साक्ष्य में **डी0डब्लू0 01** के रूप में **खान सहाय** व **डी0डब्लू0 02** के रूप में **चन्द्रपाल** को परीक्षित कराया है।

15. अभियोजन पक्ष की तरफ से उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी से अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति मुन्नालाल की हत्या किया जाना युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त कैलाश के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जीवित कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये, जिन्हें रखने की कोई वैध अनुज्ञप्ति अभियुक्त कैलाश सिंह के पास नहीं थी और उपरोक्त तमंचे का प्रयोग अभियुक्त कैलाश द्वारा वादिनी के पति मुन्नालाल की गोली मारकर हत्या कारित करने में किया गया। तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं प्रपत्रों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप भलीभांति साबित हैं। तद्नुसार अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दण्डित किये जाने की मांग की गयी है।

16. अभियुक्त की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए, दौरान बहस, मुख्य रूप से इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को रंजिशन गलत एवं झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्त निर्दोष हैं और प्रस्तुत मामले की विवेचना निष्पक्ष एवं विधिसम्मत् न होकर, पक्षपातपूर्ण, दूषित, एवं त्रुटिपूर्ण है।

प्रस्तुत मामले में किसी स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी को पेश नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षी जन एक ही परिवार के सदस्य हैं और हितबद्ध साक्षी हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य घटनाक्रम की स्वाभाविक श्रृंखला साबित नहीं है। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण के कथन स्वाभाविक एवं नैसर्गिक नहीं हैं तथा अभियोजन साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी गीता देवी रामनिवास की पत्नी थी। रामनिवास को गीता ने मरवाया तथा जमीन लेने की वजह से उसे फंसाया। साक्षीगण द्वारा रंजिश व षड्यंत्र के आधार पर उसके खिलाफ साक्ष्य दी गयी है। गीता देवी फर्जी मुन्नालाल की पत्नी बनी व झूठा केस किया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी एवं अभियुक्त पर लगाया गया प्रश्नगत आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध नहीं है और अभियुक्त प्रश्नगत आरोपित आरोप में दोषमुक्त होने योग्य हैं। अभियुक्त की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विधि-व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की गयीः-

1. **प्रदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2024 (1) जे0आई0सी0 470 (एस0सी0)**
2. **प्रीतिन्दर सिंह उर्फ लवली बनाम पंजाब राज्य, 2024(1) जे0आई0सी0 222 (एस0सी0)**
3. **गोविन्द बनाम हरियाणा राज्य, 2026(1) जे0आई0सी0 642 (एस0सी0)**
4. **हंसराज बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2025(2) जे0आई0सी0 653 (एस0सी0)**
5. **मौ0 शकील बनाम उ0प्र0 राज्य, 2024(3) जे0आई0सी0 135 (इलाहाबाद)**
6. **मटगुल्ला उर्फ अजय बनाम उ0प्र0 राज्य, 2024 (4) जे0आई0सी0 449 (इलाहाबाद)**

17. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि-व्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन व सम्यक् परिशीलन किया।

18. प्रस्तुत मामले में अवधारण प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त सन्देह से परे, सिद्ध कर सका है?

19. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0-01 श्रीमती गीता** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि प्रेमसिंह कम दिमाग के थे। उनकी 2 बीघा जमीन उसके जेठ ग्राम कुसाडी एटा के पास है, जिसका बैनामा विजनेश ग्राम शीतलपुर ने घटना से आठ माह पहले धोखाधडी से करा लिया है, जिसका मुकदमा उसके पति मुन्नालाल, जेठ चरन सिंह व लोकमन ने न्यायालय में कर रखा था। उसके पति अपने मामा डिप्टी

सिंह पुत्र सरमन सिंह नूरपुर में रहते थे। वह भी अपने पति के साथ नूरपुर में रहती थी, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। उसकी घटना के बाद कोई तारीख थी, जो उसे याद नहीं है। आज से करीब एक साल छः माह पूर्व सुबह 08:00 बजे से घर से गये थे। उसके पति को कैलाश, सुन्दर व पप्पू उर्फ रामविलास साथ लिवाकर ले गये थे। एटा की कहकर घर से लाये थे। घर से उसके पति मुन्नालाल को सुन्दर, पप्पू व कैलाश द्वारा ले जाते समय उसने व उसकी लड़की पूनम, जेठ चरन सिंह व मामा के लड़के वीरपाल पुत्र हंसराज ने सुबह 08:00 बजे ले जाते हुआ देखा था। उसे दिन में 03:00 बजे पता लगा था कि उसके पति मुन्नालाल की हत्या कर लाश काजीखेड़ा गांव के जंगल में नहर के किनारे हत्या करके फैंक दी, जिसकी सूचना उसके मामा डिप्टी सिंह को फोन से मिली थी। उसके बाद उसे सूचना मिली थी। उसे पूरा विश्वास है कि उसके पति मुन्नालाल की हत्या अभियुक्त कैलाश, सुन्दर व रामविलास ने मुकदमे में फैसला कराने के बहाने ले जाकर गर्दन में गोली मारकर गला दबाकर की थी। उसके ससुर डिप्टी सिंह के पास नूरपुर में 22 बीघा जमीन घटना के समय भी थी, अब भी है। कैलाश उस जमीन को हड़पना चाहते थे। इसी के कारण उसके पति की हत्या कर दी। इस घटना की तहरीर उसने मोहनलाल पुत्र वेदराम, निवासी नगला वन, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी से बोलकर दिनांक 29.05.2012 को घटना वाले ही दिन लिखायी। जो वोला था, वही लिखा था। पढ़कर सुनाने के बाद हस्ताक्षर कराये थे। गवाह को तहरीर पत्रावली में 5अ पढकर सुनायी व दिखायी, उसने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। तहरीर पर **प्रदर्श क–01** डाला गया। इसी तहरीर प्रदर्श क–01 के आधार पर थाना मिरहची पर मुकदमा कायम कराया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

इस साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा एवं जिरह में किये गये कथनों से तहरीर नियमतः साबित है और साक्षी द्वारा यह कथन भी किया गया है कि मृतक (उसके पति) को कैलाश, सुन्दर व पप्पू उर्फ रामविलास साथ में लेकर गये थे। साक्षी के बयान और अभियोजन कथानक पर उनके प्रभाव की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

20. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0–02 पूनम** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि मृतक मुन्नालाल उसके पिता थे। उसके पिता मुन्नालाल के भाई प्रेमसिंह थे। उनकी जमीन का बैनामा धोखाधड़ी से विजनेश ने करा लिया था, जिसका मुकदमा उसके पिता से चल रहा था। घटना के समय वह नूरपुर में रहती थी। घटना आज से लगभग चार साल दो माह पहले की थी। वह नूरपुर में स्थित अपने घर में थी। उस समय उसकी मां गीता, उसके पिता मुन्नालाल, वह और उसके रिश्तेदार चरन सिंह मौजूद थे। उस समय सुबह के आठ बजे का समय था। उसके घर पर सुन्दर, कैलाश, पप्पू जो आज हाजिर अदालत है, आये और उसके पिता को अपने साथ लिवाकर ले गये। जब उसके पिता को मुल्जिमान अपने साथ लिवाकर ले गये थे, तब उसने देखा था। उसे तीन बजे शाम को घर पर जानकारी हुई कि उसके पिता की हत्या जो मुल्जिमान उन्हें लेकर गये थे, उन्होंने कर दी है। घटना की रिपोर्ट उसकी मां गीता ने की थी। दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

इस साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा एवं जिरह में किये गये कथनों से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि साक्षी द्वारा मृतक (उसके पिता) को कैलाश, सुन्दर व पप्पू उर्फ रामविलास साथ में लेकर जाने का स्पष्ट कथन किया गया है। साक्षी के बयान और अभियोजन कथानक पर उनके प्रभाव की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

21. इस मामले में अभियोजन की ओर से तथ्य के दो साक्षी पी0डब्लू0 01 गीता व पी0डब्लू0 02 पूनम परीक्षित कराये गये हैं। वर्तमान प्रकरण में जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू० 01 गीता देवी व पी०डब्लू० 02 पूनम के मुख्य बयानों का ऊपर उल्लेख किया गया है, से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति मुन्नालाल की हत्या करते हुए नहीं देखा गया है।

22. वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से घटनाक्रम की स्वाभाविक श्रृंखला साबित नहीं है।

23. वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों तथा ऊपर उल्लिखित अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के बयानों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा अन्तिम बार देखे जाने के तथ्य एवं साक्ष्य पर आधारित है।

24. इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **कट्टा वेल्लई उर्फ देवाकर बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु, 2025 (4), जे०आई०सी० पेज 358** का ससम्मान अवलोकन किया गया।

25. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शरद विरदीचन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1985, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, पेज 995** में यह मत व्यक्त किया गया कि किसी भी परिस्थिति को अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्णतया प्रमाणित करने के पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी चाहिएः—

1. वे परिस्थितियों जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है पूरी तरह सिद्ध होनी चाहिए। निश्चय ही एक प्राथमिक सिद्धान्त है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी होना चाहिए न कि केवल दोषी हो सकता है तथा ''दोषी होना चाहिए'' के बीच मानसिक अन्तर बहुत लम्बा है। अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षो से अलग करता है।
2. इस प्रकार सिद्ध किये गये तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के दोषक नहीं होने चाहिए।
3. परिस्थितियों निश्चयात्मक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
4. उन्हें साबित की जाने वाली हर उपकल्पना के सिवाय हर सम्भावित उपकल्पना अपवर्जित करनी चाहिए, और

5. साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि सम्पूर्ण मानवीय सम्भावना में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा। यह पांच स्वर्णित सिद्धान्त है। यह परिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी पक्ष कथन के सबूत के पंचशील है।

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्य के समस्त साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है, जिनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती।

27. उक्त तर्क के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था **रामजी सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (2020) 2 एस०सी०सी० पेज 425, लालतू घोष बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ए०आई०आर० 2019 एस०सी० पेज 1058** एवं **सूचा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (2003) 7 एस०सी०सी० पेज 643** में प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलोकन किया। उक्त विधि–व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं अथवा हितबद्ध साक्षी हैं।

28. उक्त विधि–व्यवस्थाओं में प्रतिपादित उक्त सिद्धांतों के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया जाना न्यायोचित है।

29. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 01 श्रीमती गीता मृतक की पत्नी है, जिनके द्वारा घटना की तहरीर दी गयी है और कथन किया है कि दिनांक 29.05.2012 को समय करीब 08:00 बजे कैलाश, सुन्दर व पप्पू उर्फ रामविलास मुकदमे में फैसला कराने के लिये सुबह करीब 08:00 बजे उसके घर आये और उसके पति मुन्नालाल को एटा की कहकर घर से ले आये। इन लोगों को उसकी लड़की पूनम, जेठ चरन सिंह व मामा के लड़के वीरपाल ने देखा है। आज दिनांक 29.05.2012 को उसे सूचना मिली कि उसके पति की हत्या कर लाश काजी खेड़ा गॉव के जंगल नहर के किनारे फैंक दी है। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके पति की हत्या कैलाश, सुन्दर व रामविलास ने गला दबाकर व गोली मारकर की है। साक्षी पी0डब्लू0 01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर के कथनों का समर्थन किया गया है।

30. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 02 कु० पूनम मृतक मुन्नालाल की पुत्री है। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना वाले दिन वह नूरपुर में स्थित अपने घर में थी और सुबह करीब 08:00 बजे उसके घर पर उसकी माँ गीता, पिता मुन्नालाल, वह स्वयं और रिश्तेदार चरन सिंह मौजूद थे। तभी अभियुक्त सुन्दर, कैलाश और पप्पू उसके घर आये और उसके पिता को अपने साथ लिवाकर ले गये। जब उसके पिता को मुल्जिमान अपने साथ लिवाकर ले गये थे, तब उसने स्वयं देखा था। उसे भी उसी दिन दोपहर 03:00 बजे घर पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो मुल्जिमान उसके पिता को लेकर गये थे, उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी है। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 02 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह अंतिम बार साथ देखे

जाने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षी है, जिसने मृतक को सुबह 08:00 बजे अभियुक्तगण के साथ जाते हुए देखा था। इसकी साक्ष्य पी०डब्लू० 01 श्रीमती गीता के कथन की अक्षरशः पुष्टि करती है कि अभियुक्तगण ही मृतक को घर से बुलाकर ले गए थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साक्षी पी0डब्लू0 01 व पी0डब्लू0 02 के द्वारा मृतक मुन्नालाल को अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार सुबह 08:00 बजे, जब अभियुक्तगण मृतक को ले गये थे, तब देखा गया था तथा यह भी स्पष्ट है कि साक्षी पी0डब्लू0 01 के द्वारा मुन्नालाल का शव मिलने पर घटना के सम्बन्ध में तहरीर प्रदर्श क–1 थाने पर दी गयी थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

इस प्रकार सुबह 08:00 बजे मृतक का अभियुक्तगण के साथ जाना और उसी दिन दोपहर 03:00 बजे उसकी हत्या की सूचना मिलना, प्रथम दृष्ट्या साबित है।

31. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पी०डब्लू० 01 से पर्याप्त प्रतिपरीक्षा की गई है। साक्षी पी0डब्लू0 01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–03 व 04 पर यह स्वीकार किया है कि उसकी पहली शादी रामनिवास (डिप्टी सिंह के पुत्र) के साथ हुई थी और मुन्नालाल उसका दूसरा पति था। साक्षी ने यह भी कहा है कि मुन्नालाल से उसकी शादी हुई थी। भाँवरे नहीं पड़ी थी, विदा करा ली थी। बचाव पक्ष ने पी0डब्लू0 01 की प्रतिपरीक्षा के पेज–10 पर यह तथ्य निकलवाया है और साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वोटर लिस्ट व राशनकार्ड व आधार कार्ड में कुटुम्ब रजिस्टर में उसका नाम बतौर पत्नी मुन्नालाल नहीं लिखा है।

बचाव पक्ष का यह तर्क कि दस्तावेजी साक्ष्य न होने व भाँवरे न पड़ने के कारण वह मृतक की पत्नी नहीं है और नूरपुर में नहीं रहती थी, पूर्णतः निराधार है। ग्रामीण परिवेश में, विशेषकर पहले पति की मृत्यु (ट्रक एक्सीडेंट में) के बाद, घर के ही किसी अन्य सदस्य के साथ सामाजिक सहमति से विदा कराकर पति–पत्नी के रूप में रहना एक सामान्य प्रथा है। साक्षी के ससुर डिप्टी सिंह ने ही मुन्नालाल को घर बुलाकर यह संबंध स्थापित कराया था। दस्तावेजी रिकार्ड जैसे आधार कार्ड या वोटर लिस्ट आदि में नाम न होना एक लिपिकीय या प्रशासनिक त्रुटि हो सकती है, परन्तु यह साक्षी की नूरपुर में भौतिक उपस्थिति और मृतक मुन्नालाल के साथ रहने को और वादिनी के मृतक मुन्नालाल की पत्नी होने के कथन को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

साक्षी पी०डब्लू० 02 (पूनम) ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि गीता उसकी सौतेली माँ है और घटना के समय वे नूरपुर में साथ रहते थे। अतः निवास व रिश्ते का यह विरोधाभास अभियोजन की कहानी को संदिग्ध नहीं बनाता है।

साक्षी पी0डब्लू0 01 गीता ने प्रतिपरीक्षा के पेज–07 पर कहा है कि मुन्नालाल की मृत्यु की सूचना उसे शाम 03:00 बजे मिली और वह लोग घटनास्थल पर करीब 06:00 बजे शाम को पहुँचे, जब अंधेरा हो गया था, परन्तु प्रतिपरीक्षा के पेज–08 पर साक्षी पी0डब्लू0 01 ने यह कहा है कि रिपोर्ट लिखाने से पहले उसने पति की लाश को नहीं देखा था। वह साढ़े पाँच बजे शाम को थाने पहुँच गयी थी। पहले थाना गए थे। उसके बाद घटनास्थल पर गए थे।

बचाव पक्ष का तर्क है कि यदि पी0डब्लू0 01 ने जब मृतक की लाश नहीं देखी थी, तो उसके द्वारा बिना लाश देखे रिपोर्ट कैसे लिखा दी गई, परन्तु न्यायालय के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत स्वाभाविक मानवीय आचरण है। साक्षी पी0डब्लू0 01 के ससुर डिप्टी सिंह के पास फोन पर यह सटीक सूचना आ चुकी थी कि काजीखेड़ा नहर के किनारे मुन्नालाल की लाश पड़ी है। चूँकि मुन्नालाल सुबह अभियुक्तगण कैलाश, सुन्दर व पप्पू के साथ ही गया था, अतः हत्या की सूचना मिलते ही साक्षी का सीधा शक उन्हीं पर जाना स्वाभाविक था। एक ग्रामीण महिला, जिसके पति की हत्या हो गई हो, का घबराहट में घटनास्थल पर जाने से पूर्व सीधे थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना किसी भी प्रकार से प्रथम सूचना रिपोर्ट को संदिग्ध नहीं बनाता है और यह साबित करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी सलाह–मशविरा के पंजीकृत कराई गयी है। समय को लेकर मामूली 10–20 मिनट का अंतर जैसे 05:30 बजे थाना पहुँचना और 06:00 बजे घटनास्थल पहुँचना गवाह की स्मृति का स्वाभाविक दोष है।

पी0डब्लू0 01 ने प्रतिपरीक्षा के पेज–09 पर यह कहा है कि जब वह रिपोर्ट लिखाने थाने गई तो चरन सिंह कहाँ मिले, जिस पर साक्षी ने कहा कि ध्यान नहीं है। पेज–08 पर पी0डब्लू0 01 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि रिपोर्ट लिखते समय कौन–कौन पास में था, उसे ध्यान नहीं है, क्योंकि वह रोती रही। ऐसी मानसिक आघात की स्थिति में साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक व्यक्ति के आने–जाने और सूचना प्राप्ति के स्रोत का सूक्ष्म विवरण याद रखे।

32. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 02 से भी पर्याप्त प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी पी0डब्लू0 02 ने पेज–02 पर स्वीकार किया है कि गीता उसकी असली माँ नहीं है, बल्कि उसकी असली माँ का नाम सरोज है। पिता मुन्नालाल की दो शादियां हुई थीं और वह पहली पत्नी सरोज से पैदा हुई है। बचाव पक्ष द्वारा पी0डब्लू0 02 की प्रतिपरीक्षा में पेज–06 और पेज–07 पर यह तथ्य भी पत्रावली पर लाया गया है कि मृतक मुन्नालाल के दाह संस्कार में साक्षी की असली माँ सरोज या उसके नाना–नानी नहीं आए थे, क्योंकि मुन्नालाल द्वारा गीता (दूसरी पत्नी) से संबंध स्थापित करने के कारण असली ननिहाल पक्ष के लोग नाराज हो गए थे।

इन तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि गीता और साक्षी पी0डब्लू0 02 के बीच संबंध सौतेले हैं, साक्षी गीता व ताऊ चरन सिंह के दबाव में झूठी गवाही दे रही है और उसका घटना के समय नूरपुर में रहना संदेहास्पद है। साक्षी पी0डब्लू0 02 ने प्रतिपरीक्षा के पेज–02 पर यह तथ्य बिल्कुल नहीं छिपाया कि उसकी असली माँ सरोज है। उसने बहुत ही स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट किया है कि बचपन में वह कुसाड़ी में रहती थी, लेकिन जब उसके पिता ने गीता से दूसरी शादी कर ली, तब वह अपने पिता के साथ रहने के लिए चली गई।

साक्षी पी0डब्लू0 02 के अनुसार घटना की सुबह 08:00 बजे साक्षी अपने पिता मुन्नालाल और दूसरी माँ गीता के साथ नूरपुर वाले घर में मौजूद थी। घटना की तिथि, समय व दिशाओं के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी0डब्लू0 02 के प्रतिपरीक्षा के पेज–06 पर किये गये कथनों के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया गवाह को घटना का सही दिन, महीना और तारीख याद नहीं

है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे घटना का दिन व महीना भी नहीं मालूम, जिस दिन मुन्नालाल नूरपुर से गये थे और न तारीख भी नहीं मालूम। इसके अतिरिक्त, साक्षी ने यह भी कहा है कि जिस स्थान से उसके पिता कथित घटना वाले दिन गए थे, उसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है, उसे नहीं मालूम।

बचाव पक्ष का तर्क है कि यदि गवाह वास्तव में चश्मदीद होती, तो उसे घटना की तारीख और अपने घर की दिशाओं का ज्ञान अवश्य होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेकानेक विधि–व्यवस्थाओं में यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाओं या कम पढ़ी–लिखी लड़कियों से अंग्रेजी कैलेण्डर की तारीखों, महीनों या सटीक समय की रटी–रटाई जानकारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

पी0डब्लू0 02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कहा है कि सुबह आठ बजे मुल्जिमान उसके घर आये थे और उसके पिता को ले गए। प्रतिपरीक्षा के पेज–02 पर साक्षी पी0डब्लू0 02 ने यह कथन किया है कि उसके पिता की लाश जहाँ मिली थी, वह वहीं नहीं गयी। उसने अपने पिता की लाश दाह संस्कार से पहले नूरपुर में देखी थी। वहीं पेज–07 पर वह कहती है कि उसके पिता की मृत्यु/हत्या की सूचना 03 बजे मिली थी। उसके पिता की मौत की सूचना उसकी माँ ने बताई थी।

साक्षी पी0डब्लू0 02 ने प्रतिपरीक्षा के पेज–03 पर यह स्पष्ट किया है कि जिस दिन उसके पिता घर से गए थे, उस दिन बाबा डिप्टी सिंह घर पर थे। साक्षी ने यह विवरण दिया है कि रामविलास, सुन्दर, कैलाश, डिप्टी सिंह के घर पर पैदल पहुँचे। उसके पिता आँगन में बैठे थे। पेज–04 पर साक्षी ने विस्तार से बताया है कि उस समय उसके पिता के साथ वह व उसकी माँ गीता और डिप्टी सिंह उसके पास बैठे थे और चरन सिंह व वीरपाल बैठे थे। साक्षी ने यह भी बताया कि यह लोग व मुल्जिम दस मिनट रुके थे। साक्षी द्वारा घर के अन्य सदस्यों की उपस्थिति का जो विवरण पेज–04 पर दिया गया है, वह पी०डब्लू० 01 श्रीमती गीता की मुख्य परीक्षा से पूरी तरह मेल खाता है, जिसने भी इन सभी की उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रतिपरीक्षा के पेज–05 पर बचाव पक्ष ने यह सुझाव दिया है कि वह व उसके ताऊ चरन सिंह नूरपुर में न हों और पेज–06 पर सुझाव दिया कि उसके पिता की हत्या चरन सिंह ने करवा दी हो। अंत में पेज–08 पर यह अंतिम सुझाव दिया गया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी हो और उसकी माँ गीता उसके ताऊ चरन सिंह उस पर नाजायज दबाव बनाकर झूठी गवाही दिलवा रहे हों।

साक्ष्य विधि का एक स्थापित नियम है कि बचाव पक्ष द्वारा दिया गया मात्र सुझाव, जब तक कि उसे किसी अन्य ठोस साक्ष्य द्वारा पुष्ट न किया जाए, अपना कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं रखता।

33. जहॉ तक प्रस्तुत मामले में हेतुक का प्रश्न है, विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में घटना के हेतुक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी आपराधिक घटना का हेतुक क्या है, इसका कोई साक्ष्य सम्पूर्ण सटीकता के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किन्तु अभियोजन को यह स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या किये जाने का कुछ प्रयोजन था।

34. वादिनी मुकदमा ने अपनी तहरीर में स्पष्ट किया है कि उसके जेठ प्रेमसिंह, जो दिमाग से कमजोर हैं, उनकी जमीन करीब दो बीघा, जो ग्राम कुसाड़ी, एटा के पास है, 22 लाख में विजनेश को 08 महीने पहले बेची थी, जिस पर उसके जेठ चरन सिंह, लोकमन व उसके पति मुन्नालाल ने मुकदमा न्यायालय कर रखा था। मामा डिप्टी सिंह पर 22 बीघा जमीन है। उसके जेठ प्रेम सिंह द्वारा बेची गयी जमीन के मुकदमे में दिनांक 30.05.2012 थी। कैलाश उसके पति के मामा की जमीन हड़पना चाहता था तथा सुन्दर व पप्पू उर्फ रामविलास मुकदमे में फैसला कराने के लिये दिनांक 29.05.2012 को सुबह करीब 08:00 बजे उसके घर आये और उसके पति को एटा की कहकर घर से ले आये। साक्षी पी०डब्लू० 01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर के इन्हीं कथनों को दोहराया है और कहा है कि उसके जेठ प्रेमसिंह दिमाग से कमज़ोर थे। उनकी 02 बीघा ज़मीन ग्राम कुसाड़ी एटा के पास थी, जिसका बैनामा विजनेश ने घटना से आठ माह पूर्व धोखाधड़ी से करा लिया था। इस धोखाधड़ी के विरुद्ध उसके पति मुन्नालाल, जेठ चरन सिंह व लोकमन ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर रखा था और उसके पति ही इस मुक़दमे की मुख्य रूप से पैरवी कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, उसके ससुर/मामा डिप्टी सिंह के पास 22 बीघा ज़मीन थी और उनके कोई पुत्र नहीं था। अभियुक्त कैलाश उस 22 बीघा जमीन को हड़पना चाहता था, जिसके कारण उसने मुन्नालाल की हत्या कर दी। प्रतिपरीक्षा के पेज–05 पर साक्षी पी0डब्लू0 01 ने पुनः कहा कि उसके ससुर डिप्टी सिंह के पास 22 बीघा ज़मीन है तथा उनके भतीजे (अभियुक्तगण) भी इनकी जमीन को चाहते थे। प्रतिपरीक्षा के पेज–06 पर साक्षी ने बताया कि प्रेमसिंह की जमीन चार सौ बीसी (धोखाधड़ी) में कैलाश, सुन्दर व पप्पू ने बेची थी। पेज–07 पर साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके पति मुन्नालाल को कैलाश, सुन्दर व पप्पू इसी जमीन का फैसला कराने के लिए बुलाकर ले गए थे। यद्यपि मुन्नालाल मूलवाद संख्या 670/2011 (प्रेमसिंह बनाम विजनेश आदि) में सीधे पक्षकार नहीं थे, परंतु भाई होने के नाते मुकदमे की पैरवी करते थे। प्रतिपरीक्षा के पेज–08 पर साक्षी ने पुनः दोहराया कि अभियुक्त रामविलास उर्फ पप्पू व सुन्दर को वह तब से जानती है, जब से प्रेमसिंह ने धोखाधड़ी में जमीन बेची और उसका मुकदमा उसके पति चला रहे थे, इसीलिए वे लोग उसके घर आते–जाते थे। प्रतिपरीक्षा के पेज–09 पर साक्षी द्वारा यह स्पष्ट तथ्य पत्रावली पर लाया गया कि अभियुक्त कैलाश उसका सगा चचेरा जेठ है और कैलाश चाहता था कि डिप्टी सिंह की जमीन उसे मिल जाए। प्रतिपरीक्षा के पेज–10 पर साक्षी ने खुलासा किया कि प्रेमसिंह की जमीन के बैनामे पर प्रेमसिंह का फोटो नहीं लगा था, बल्कि अभियुक्त पप्पू का फोटो लगा था। डिप्टी सिंह अपने लड़के रामनिवास की मृत्यु के बाद अपनी ज़मीन अपने भतीजों कैलाश आदि के नाम नहीं करना चाहते थे। प्रतिपरीक्षा के पेज–11 पर साक्षी पी0डब्लू0 01 ने अंतिम रूप से पुष्ट किया कि रामविलास व सुन्दर से जमीन का विवाद था और वही लोग उसके पति को बुलाकर ले गए तथा उनकी हत्या कर दी।

35. साक्षी पी०डब्लू० 02 ने मुख्य परीक्षा में हेतुक के संबंध में बयान दिया कि उसके पिता मुन्नालाल के भाई प्रेमसिंह की जमीन का बैनामा धोखाधड़ी से विजनेश ने करा लिया था, जिसका मुकदमा उसके पिता चला रहे थे। प्रतिपरीक्षा के पेज–03 व 04 पर साक्षी पी0डब्लू0 02 ने बताया कि उसके बाबा

डिप्टी सिंह यह चाहते थे कि उसके पिता (मुन्नालाल) ही सारी जायदाद की देखभाल करें। प्रतिपरीक्षा के पेज–04 पर साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि बैनामा ताऊ प्रेमसिंह ने स्वयं नहीं किया था, बल्कि अभियुक्तगण (कैलाश, सुन्दर व पप्पू) ने फर्जी रूप से विजनेश के नाम कराया था और इस फर्जी बैनामे में अभियुक्तगण स्वयं गवाह हैं। बैनामा विजनेश के हक में होने से उसके पिता को खतरा था और उस बैनामे से ताऊ प्रेमसिंह को कोई पैसा नहीं मिला था।

36. माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित विधि–व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में हेतुक एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, परंतु साथ ही साथ विधि–व्यवस्थ **जी0 पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य, ए0आई0आर0 2010 एस0सी0 पेज 2914** एवं **जगदीश बनाम उ0प्र0 राज्य, 2009(67) ए0सी0सी0 पेज–295** में यह भी अवधारित किया गया है कि मात्र हेतुक न होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य व उसकी श्रृंखला को पूर्ण कर पाने में असफल रहा है।

37. वर्तमान प्रकरण में जैसा कि साक्षियों के द्वारा दिये गये बयान एवं अन्य तथ्यों का उपर उल्लेख किया गया है, से यह स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा गीता के पूर्व पति रामनिवास के पिता डिप्टी सिंह थे तथा डिप्टी सिंह के द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु के उपरांत वादिनी मुकदमा का विवाह अपने रिश्तेदार मुन्नालाल से कराया था। यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त कैलाश डिप्टी सिंह का भतीजा है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि रामनिवास का एक भाई, जो मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ नहीं था, के द्वारा एक बैनामा विजनेश व अन्य के द्वारा कराया गया है, जिसके निरस्तीकरण का मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया गया है। साक्ष्य यह भी स्पष्ट है कि मृतक मुन्नालाल उस मुकदमे में पैरवी किया करता था तथा यह भी स्पष्ट है कि मृतक मुन्नालाल के एक अन्य भाई चरन सिंह द्वारा उक्त मुकदमा को वापस ले लिया गया था, परंतु मृतक द्वारा बैनामा निरस्तीकरण के मुकदमे की निरन्तर पैरवी की जा रही थी।

साक्ष्य में यह भी आया है कि अभियुक्त कैलाश, जो कि डिप्टी सिंह का भतीजा है, डिप्टी सिंह की 22 बीघा जमीन को प्राप्त करना चाहता था। अतः प्रथम दृष्ट्या वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त कैलाश के पास मृतक मुन्नालाल की हत्या किये जाने का हेतुक उपलब्ध था।

38. इसी प्रकार बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 01 एवं पी0डब्लू0 02 शत्रुवत एवं हितबद्ध साक्षी हैं, तो उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित विधि–व्यवस्थाओं में तथा विधि–व्यवस्था **धानी बनाम उ0प्र0 राज्य, ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 पेज 308** में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मात्र शत्रुवत साक्षी अथवा हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर साक्षीगण की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, यद्यपि ऐसे साक्षीगण की साक्ष्य का मूल्यांकन न्यायालय द्वारा गहनतापूर्वक किया जाना आवश्यक है।

39. इस स्तर पर विधि– व्यवस्था **बी०जे० मार्कड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2016) 10 एस०सी०सी० पेज 537 एवं जोश बनाम सब इन्सपेक्टर**

पुलिस (2016) 10 एस०सी०सी० पेज 519 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि संदेह के लाभ की अवधारणा को इस हद तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए कि दोषी व्यक्ति को उसका अनुचित लाभ मिल सके।

40क. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0–03 डॉ0 इंतजार हुसैन** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 30.05.2012 को वह जनपद कासगंज सी.एच.सी. सहावर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी शव–विच्छेदन गृह, एटा पर रात को विच्छेदन किये जाने हेतु थी। इसी दिनांक को मुन्नालाल उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र चिरौंजीलाल, निवासी नूरपुर, थाना सकीट, जिला एटा के शव को थानाध्यक्ष मिरहची द्वारा भेजे गये नौ प्रपत्रों के साथ कॉ0 सी0पी0 880 संतलाल व सी0पी0 817 सत्वेन्द्र सिंह सील्ड हालत में लेकर आये थे। शव औसत कद–काठी का था। पूरा शरीर अकड़ा हुआ था तथा पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी। शव की ऑखे बंद थी।

<u>**शव के परीक्षण से निम्न चोटें मौजूद थी:–**</u>

1. आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव, जिसका आकार 11 सेमी0 x 03 सेमी गर्दन की अगली सतह पर दॉयी तरफ था, जो कंठ से दो सेमी0 ऊपर की तरफ था। चोट के किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। घाव के चारों तरफ ब्लैकरिंग और टैटूइंग मौजूद थी।
2. आग्नेयास्त्र अस्त्र का निकास घाव 02 सेमी0 x 02 सेमी0, जो सिर के पीछे बॉयी तरफ के कान से 07 सेमी0 पीछे की तरफ था। घाव के किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे, जिससे दिमाग बाहर निकला हुआ था।

<u>**आंतरिक परीक्षण**</u>

मृतक की बॉयी तरफ की ऑक्सीपिटल की हड्डी टूटी हुइर्ठ थी। दिमाग की झिल्ली फटी हुई थी। मस्तिष्क फटा हुआ था। कंठ और श्वॉस नली फटे हुए थे। हृदय में दॉया प्रकोष्ठ पूरा भरा हुआ था तथा बॉया खाली थी। अमाशय में 200 मिली0 तरफ खाद्य पदार्थ मौजूद था। अन्य सभी आंतरिम अंग सामान्य थे। मृतक की मृत्यु शव–विच्छेदन से लगभग एक दिन पूर्व हुई थी। मृतक की मृत्यु उसके शरीर पर आग्नेयास्त्र से पहुॅचाई गयी चोटों तथा शॉक व अत्यधिक रक्तस्राव व कौमा से हुई थी। वरवक्त शव–विच्छेदन मृतक के शव से कुल पॉच अदद कपड़े व धागा को सील करके शव को लाने वाले कॉ0 को दि गया। वरवक्त शव–विच्छेदन रिपोर्ट उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जो पत्रावली पर कागज सं0 8अ है, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। मृतक की मृत्यु दिनांक 29.05.2012 को समय सुबह 08:00 बजे से लेकर सॉय 03:00 बजे तक के दरम्यान होना तथा आग्नेयास्त्र द्वारा पहॅुचाई गयी चोटों से होना संभव है।

40ख. साक्षी पी0डब्लू0 03 डॉ0 इंतजार हुसैन द्वारा अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया गया है कि मृतक ने मृत्यु से पूर्व एक–दो घंटे पहले खाना खाया होगा। तरल पदार्थ में कोई शराब की बू नहीं आ रही थी। उसने यह बात

पी0एम0आर0 में अंकित नहीं की है। क्यों नहीं की, इसकी वह वजह नहीं बता सकता। मृतक की मौत दिनांक 29.05.2012 को सुबह 06:00 बजे से साढ़े नौ बजे तक होना संभव है। यदि मृतक ने मृत्यु से पूर्व अपनी अंटी से तमंचा निकाल कर उसके द्वारा धोखे से ट्रिगर दब जाने से चोट सं0 01 आना संभव है।

वर्तमान प्रकरण में जो कि परिस्थिजन्य साक्ष्य और अंतिम बार अभियुक्तगण को मृतक के साथ देखे जाने के तथ्य पर आधारित है, के आधार पर चिकित्सक की साक्ष्य एवं मृत्यु का संभावित समय महत्वपूर्ण हो जाता है।

चिकित्सक द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मृतक की मृत्यु का संभावित समय दिनांक 29.05.2012 को सुबह 08:00 बजे से लेकर सायं 03:00 बजे तक के दरम्यान आग्नेयास्त्र द्वारा पहुँचाई गयी चोटों से होना बताया गया है। चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0 03 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह समय दिनांक 29.05.2012 को सुबह 06:00 से 09:30 बजे तक बताया गया है, जो साक्षी पी0डब्लू0 01 गीता एवं साक्षी पी0डब्लू0 02 पूनम के द्वारा मृतक को अंतिम बार अभियुक्तगण के साथ देखे जाने और अभियुक्तगण द्वारा मृतक को उसके घर से बुलाकर ले जाये जाने के समय से मेल खाता है। चिकित्सक द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी बताया गया है कि शव–विच्छेदन किये जाते समय मृतक का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था तथा पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी। चिकित्सक द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी बताया गया है कि मृतक ने मृत्यु से एक–दो घंटे पहले खाना खाया होगा।

इस स्तर पर अन्तिम बार देखे जाने के सिद्धांत के सम्बन्ध में विधि–व्यवस्था **स्टेट ऑफ गोआ बना पाण्डुरंग मोहिते ए०आई०आर० 2009 एस०सी० पेज 1066** एवं **रोहतास कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 (82) ए०सी०सी० पेज 401 उच्चतम न्यायालय** में प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलोकन किया।

उक्त विधि–व्यवस्था में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के संभावित समय में अंतर इतना न्यूनतम होना चाहिए कि किसी अन्य द्वारा अपराध कारित किए जाने की संभावना को बल न मिलता हो।

उल्लेखनीय है कि शव का पोस्टमार्टम दिनांक 30.05.2012 को समय 11:30 ए0एम0 पर दिन में प्रारम्भ किया गया है। यदि चिकित्सक के अनुसार मृतक ने मृत्यु से एक–दो घंटे पूर्व खाना खाया होगा, तो मृत्यु का संभावित समय दिनांक 29.05.2012 को 09:00 ए0एम0 के लगभग होना संभव है।

साक्षी पी0डब्लू0 03 द्वारा मृतक की शव–विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–02 के रूप में साबित किया गया है। चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा निर्धारित मृत्यु का समय अभियोजन के गवाहों पी०डब्लू०–01 व 02 के उस मौखिक बयान से अक्षरशः मेल खाता है कि अभियुक्तगण मृतक को सुबह 08:00 बजे अपने साथ ले गए थे। चिकित्सक द्वारा मृत्यु का स्पष्ट कारण आग्नेयास्त्र की चोटों से शॉक, अत्यधिक रक्तस्राव व कोमा बताया गया है।

41क. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0–04 एस0आई0 रामसिया मौर्य** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 29.05.2012 को वह थाना मिरहची में बतौर एस.ओ. तैनात था। इसी

दिनांक को थाना कार्यालय में कायम मुकदमा अपराध संख्या–130/2012, धारा 302/201 भा0दं0सं0 बनाम कैलाश व अन्य 2 की विवेचना उसने स्वयं ग्रहण की थी। इसी दिनांक को उसने विवेचना में मसरूफ होते हुए सी.डी. पर्चा नं0–प्रथम किता किया था, जिसमें किता करते हुए नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक एफ.आई.आर., एच.एम. सत्यसिंह तथा नकल लेने कब्जा पुलिस मिट्टी व खून आलूदा तथा बयान लेखक तहरीर मोहनलाल व बयान वादिया श्रीमती गीता, निरीक्षण घटनास्थल वादिया की निशानदेही पर किया तथा बयान समाई साक्ष्य सुखवीर सिंह व शीलेन्द्र तथा बयान फर्द गवाह श्री रामबहादुर सी.डी. में अंकित किये। फर्द उसके द्वारा गवाहन चरन सिंह व रामबहादुर के सामने कब्जा में लेने मिट्टी सामान खून आलूदा उसके द्वारा तैयार की गयी थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या–9अ है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। वादिया की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करते समय नक्शा नजरी उसने मौके पर तैयार किया था, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जो कागज संख्या–8अ/1 है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है वलिहाज मौके पर सही है, खसरा दर्ज है, इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। विवेचना के क्रम में उसने दिनांक 30 मई 2012 को सी.डी. पर्चा नं0–02 किया किया, जिसमें बयान गवाह वीरपाल सिंह तथा कु0 पूनम तथा गवाह एफ.आई.आर. चरन सिंह के बयान अंकित किये। दिनांक 31.05.2012 को सी.डी. में पर्चा नं0 तीन किता किया गया, जिसमें बयान गवाह पंचायतनामा हिमाचल, लोकमन, रामविलास तथा गवाह पुष्पेन्द्र व धर्मेन्द्र के बयान अंकित किये गये एवं इसी पर्चा में पंचायतनामा मुरत्तिव करने वाले एस.आई. मांगेलाल तथा पोस्टमार्टम हेतु शव ले जाने वाले कां0 880 संतलाल व कां0 817 सतवेद सिंह के बयान अंकित किये गये। दिनांक 01.06.2012 को सी.डी. पर्चा नं0 चार उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण के मस्कनो पर दबिश दी। इसका जिक्र सी.डी. में किया। दिनांक 02.06.2012 को सी.डी. पर्चा नं0–पॉच में पंचायतनामा की नकल अंकित की। एस.आई. मांगेलाल जो दिनांक 29.05.2012 को थाना मिरहची में उसके अधीनस्थ के रूप में तैयार थे, उन्होंने उसके निर्देशन में मृतक मुन्नालाल के शव का पंचायतनामा भरा था। उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। उसने उनको लिखते पढ़ते देखा है। पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा मृतक मुन्नालाल एस.आई. मांगेलाल के लेख व हस्ताक्षर में है, जो कागज संख्या–103/2 व 3 है। चिट्ठी सी.एम.ओ. कागज संख्या–10अ/7, चिट्ठी आर.आई. कागज संख्या–7अ/8 व फोटोग्राफ कागज संख्या–7अ/9 पत्रावली पर उपलब्ध है, इस पर क्रमशः **प्रदर्श क–5** पंचायतनामा पर, चिट्ठी सी.एम.ओ. पर **प्रदर्श क–6,** चिट्ठी आर.आई. पर **प्रदर्श क–7** व फोटोग्राफ पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। दिनांक 03.06.2012 को पर्चा नं0 06 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की तहरीर थाना सकीट व कोतवाली देहात पर दाखिल की गयी, उसका जिक्र किया गया। दिनांक 06.06.2012 को सी.डी.–07 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दबिश का जिक्र है। दिनांक 07.06.2012 को सी.डी.–08 के क्रम में किता की गयी थी, जिसमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का जिक्र है। दिनांक 10.06.2012 को सी.डी. 09 किता की गयी, जिसमें अभियुक्त कैलाश मय आला कत्ल तमंचा 315 बोर मय एक खोखा व एक कारतूस जिन्दा सहित गिरफ्तार किया। मौके पर फर्द

तैयार की और थाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया। अभियुक्त के बयान तस्करा पूछताछ व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अंकित किया गया है। एस0सी0 सं0 445/2012 में उपलब्ध कागज संख्या–5अ पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। दिनांक 11.06.2012 को पर्चा सी.डी. 10 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त सुंदर उर्फ सुरेन्द्र, पप्पू उर्फ रामनिवास के विरूद्ध कार्यवाही धारा 82/83 सी.आर.पी. सी. की रिपोर्ट न्यायालय में देने का जिक्र है। दिनांक 13.06.2012 को पर्चा सी0डी0 नं0 10 किता किया, जिसमें मुकदमा के अभियुक्त पप्पू उर्फ रामविलास की गिरफ्तारी का जिक्र अंकित किया तथा अभियुक्त का बयान अंकित किया। इसी दिनांक में उसने सी.डी. पर्चा नं0–10ए किता किया, जिसमें आला कत्ल बरामदगी स्थल का जिक्र अंकित किया तथा मौके पर नक्शा बरामदगी स्थल तैयार किया, जो पत्रावली पर कागज संख्या–5अ/2 है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, खसरा दर्ज है, वलिहाज मौका सही है, इस **प्रदर्श क–10** डाला गया। इसी पर्चा में बयान सफाई साक्ष्य प्रताप सिंह तथा नेत्रपाल अंकित किये। दिनांक 15.06.2012 को सी.डी. पर्चा 11 किता किया, जिसमें अभियुक्त सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र की गिरफ्तारी का उल्लेख किया तथा सी.डी. में अभियुक्त सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र का बयान अंकित किया। दिनांक 19.06.2012 को सी.डी. पर्चा नं0 12 किता किया, जिसमें डॉक्टर इन्तजार हुसैन पी.एम.आर. कर्ता का बयान अंकित किया। दिनांक 24.06.2012 को पर्चा नं0 13 किता गया जिसमें आला कत्ल बरामदगी कां0 795 विनीत कुमार व कां0 337 कृपाल सिंह के बयान अंकित किये गये। दिनांक 30.06.2012 को बाद तमामी तफतीश के साक्ष्य पाये जाने के उपरांत अभियुक्त कैलाश, रामविलास उर्फ पप्पू व सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र के विरूद्ध धारा–302/201 भा0दं0सं0 में आरोप–पत्र संख्या–63/2012 न्यायालय को प्रेषित, जो पत्रावली में कागज संख्या–3अ है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, इस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। दिनांक 29.07.2012 को एस.सी.डी. प्रथम उसने किता किया, जिसमें उसने एफ.एस.एल. (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) में मृतक के कपड़े, सादा व खून आलूदा मिट्ठी, आला कत्ल दाखिल किये जाने का जिक्र अंकित किया था। दिनांक 10.06.2012 को उसके द्वारा अभियुक्त कैलाश को समय करीब 14:30 बजे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करते समय अभियुक्त कैलाश की जामा तलाशी से उसके पास से एक तमन्चा 315 बोर तथा तमन्चे में एक फंसा हुआ खोखा कारतूस व 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। बरामद कारतूस व तमंचा आज न्यायालय में सील बंद हालत में मौजूद है, जिसे रूबरू न्यायालय खोला गया। तमंचा व कारतूस को देखकर साक्षी ने कहा कि ये वही तमंचा व कारतूस जिंदा, खोखा है, जो अभियुक्त कैलाश से बरामद किये गये थे। इन पर क्रमशः तमंचे पर **वस्तु प्रदर्श–01** व जिंदा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–02** व खोखा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–03** डाला गया। अभियुक्त ने तमंचा व कारतूस बरामद कराते समय बताया था कि ये वही तमंचा व कारतूस है, जिससे उसने गोली मारकर मुन्नालाल की हत्या की थी। बरामद तमंचा व कारतूस को मौके पर ही सील कर फर्द तैयार कर हस्ताक्षर कर थाना ले जाकर दाखिल किया और मुकदमा दर्ज कराया।

41ख. साक्षी पी0डब्लू0 04 एस0आई0 रामसिया मौर्य ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में पेज–07 पर कथन किया है कि गॉव नूरपुर से भौगॉव 80 किलोमीटर दूर पडता है, जो मुन्नालाल इस गॉव का है। एफ.आई.आर. का लेखक है, उसके

निवास से जहाँ मृतक की लाश पड़ी थी, दूरी 90 किलोमीटर है। उसे मृतक की पत्नी गीता ने यह बताया कि मुन्नालाल घर से 8 बजे गया था। मृतक की पत्नी और बेटी के अलावा अन्य गवाहों के भी बयान अंकित किये गये हैं, उनके नाम ध्यान नहीं है। लाश जंगल में मिलने के कारण उस स्थान पर कोई स्वतन्त्र साक्षी उपलब्ध नहीं था। मुन्नालाल ने यदि कोई भी थाना में दावा किया हो, तो उसकी जानकारी उसे नहीं थी। मुन्नालाल ने यदि कोई दीवानी में दावा किया हो, तो उसकी जानकारी में नहीं था कि उसका कोई दावा था या नहीं। जिस मैजिक गाडी से मृतक घटनास्थल तक गया, उस मैजिक गाडी को तलाशने का प्रयास नहीं किया कि वह मैजिक गाड़ी किसकी थी।

पी0डब्लू0 04 ने पेज–08 पर प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसे मुन्नालाल की मृत्यु की सूचना सबसे पहले वादी द्वारा मिली थी। वादी के सूचना देने पर मृतक मुन्नालाल के बारे में थाने पर कोई जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट लिखने के तुरन्त बाद वह घटनास्थल के लिये गया। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था, तो वादिया के साथ आये अन्य लोग भी पहुँचे थे तथा कुछ व्यक्ति पड़ौसी गाँव के भी थे। वादिया थाने से उसके साथ नहीं गयी। अपने परिजनों के साथ गयी थी। उसने वादिया का बयान उसने घटना स्थल पर पहुँच कर लिया था। वादिया ग्राम नूरपुर थाना सकीट जिला एटा की रहने वाली थी। वह विवेचना में नूरपुर गाँव कई बार गये। इस सम्बन्ध में थाना सकीट पर रवानगी वापसी भी जी.डी. में की थी।

पी0डब्लू0 04 ने पेज–09 पर प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि गीता देवी के प्रथम पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। पूर्व पति का नाम का इन्द्राज उसने केस डायरी में करना जरूरी नहीं समझा। उसको गीता के प्रथम पति का नाम ध्यान नहीं है। इस कथित घटना के समय गीता देवी के ससुर डिप्टी सिंह जिन्दा थे और गाँव में रहते थे। उसका उसने बयान लिया या नहीं, ध्यान नहीं है। इस मुकदमें में वादिया मुकदमा के ससुर डिप्टी सिंह को आरोप–पत्र में गवाह नहीं बनाया है। इसकी वजह यह है कि या तो वह बुजुर्ग होंगे, या बयान देने की स्थिति में नहीं होंगे। उसे जानकारी नहीं है कि डिप्टी सिंह आज भी जिन्दा है। मुन्नालाल व गीता देवी की शादी के बारे में उसे जानकारी नहीं है। वह पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। पति पत्नी के रूप में रहने की जानकारी उसे वादिया व गवाहान ने दी थी। वह नहीं बता सकता कि यह जानकारी उसे किसने दी थी। मृतक मुन्नालाल ग्राम कुसाड़ी थाना कोतवाली देहात जिला एटा का रहने वाला था। उसे जानकारी नहीं है कि मुन्नालाल की पत्नी सरोज जिन्दा है अथवा नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि सरोज के दो बच्चे है।

पी0डब्लू0 04 ने पेज–10 पर प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने आरोप पत्र में कु० पूनम पुत्री मुन्नालाल को गवाह बनाया है। वह सरोज की पुत्री है। मृतक मुन्नालाल के तीन–चार और भाई हैं, जो ग्राम कुसाड़ी में रहते हैं। मृतक मुन्नालाल के किसी भाई द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी। वादी गीता देवी द्वारा उसे यह बताया गया था कि उसके जेठ प्रेम सिंह की जमीन राम विलास द्वारा बिकवा दी गई है। इस दुश्मनी के अलावा राम विलास व सुंदर से कोई दुश्मनी नहीं थी। जमीन जो प्रेम सिंह द्वारा किसे बेची गयी, उसने जानकारी नहीं की थी। वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। अभियुक्त

कैलाश, राम विलास, सुन्दर ये तीनों अलग–अलग जगह के रहने वाले हैं। अभियुक्त कैलाश डिप्टी सिंह का सगा भतीजा है। प्रेम सिंह की जमीन जो बिकी थी, उसका कोई मुकदमा दीवानी में चला, उसने इसकी जानकारी नहीं की।

पी0डब्लू0 04 ने पेज–11 पर प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वादिया द्वारा यह नहीं बताया गया कि मृतक मुन्नालाल के मरने की सूचना उसके ससुर डिप्टी सिंह द्वारा दी गई। यह कहना सही है कि मृतक को घर से बुलाने का नक्शा उसके द्वारा नहीं बनाया गया, क्योंकि घटनास्थल थाना मिरहची क्षेत्र का था, वहीं का नक्शा उसके द्वारा बनाया गया। वह नूरपुर दौरान विवेचना कई बार गया। इसका इन्द्राज उसने रपट सं० 20 समय 15:20 बजे दिनांक 06.06.2012 को जी.डी. में किया। उसने उस जी.डी. में कैलाश की गिरफ्तारी हेतु एन.बी.डब्लू. की तामील हेतु रवानगी इन्द्राज किया है। नूरपुर जाने का दौरान विवेचना उसके द्वारा जी.डी. की नकल पत्रावली पर संलग्न नहीं है।

पी0डब्लू0 04 ने पेज–12 पर प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने एफ.आई.आर. के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया हो। यह कहना गलत है कि वह नूरपुर न गया हो, इस कारण नक्शा नजरी न बनाया हो। यह कहना गलत है कि डिप्टी सिंह का बयान इसलिए नहीं लिया जा सका, क्योंकि वह नूरपुर न गया हो। यह कहना गलत है कि उसने गलत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया हो।

साक्षी पी0डब्लू0 04 हत्या के मामले का विवेचक है। इस साक्षी द्वारा घटनास्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी कब्जे में लेकर फर्द तैयार की, जिसे प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया। साक्षी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया, जिसे प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया। इस साक्षी द्वारा अपने निर्देशन में एस०आई० मांगेलाल (जिनकी मृत्यु हो चुकी है) द्वारा तैयार किये गए पंचायतनामा (प्रदर्श क–5) को उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचान कर साबित किया। इसके अतिरिक्त चिट्ठी सी०एम०ओ० (प्रदर्श क–6), चिट्ठी आर०आई० (प्रदर्श क–7) और फोटोग्राफ (प्रदर्श क–8) को भी साबित किया। इस साक्षी द्वारा दिनांक 10.06.2012 को समय करीब 14:30 बजे अभियुक्त कैलाश को गिरफ्तार किया। उसकी जामा तलाशी से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर, जिसमें एक फंसा हुआ खोखा कारतूस तथा एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया और आला–कत्ल तमंचा बरामदगी की फर्द तैयार की, जिसे प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया। इसके साथ ही आला–कत्ल बरामदगी स्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया, जिसे प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया। साक्षी द्वारा न्यायालय में सील बंद हालत में मौजूद आला–कत्ल को खोलकर उसकी पहचान की और तमंचे पर वस्तु प्रदर्श–01, जीवित कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–02 तथा खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–03 डाला गया। इस साक्षी द्वारा हत्या के मामले में विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्तगण कैलाश, रामविलास उर्फ पप्पू व सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र के विरूद्ध धारा–302,201 भा०दं०सं० के अंतर्गत न्यायालय में प्रेषित आरोप–पत्र को प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया।

जहॉ तक बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत इस तर्क का संबंध है कि आला–कत्ल बरामदगी के मामले में कोई भी स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है, सभी साक्षीगण पुलिस कर्मचारीगण हैं, जिनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं

मानी जा सकती है, इस संबंध में विधि व्यवस्था **Mukesh Vs. State for NCT of Delhi & Others, AIR 2017 SC 2161 (Three Judge Bench)** में विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि बरामदगी के गवाह के रूप में पुलिस अधिकारी के साक्ष्य पर आमतौर पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिये। साक्षीगण की साक्ष्य में जो छोटे–मोटे विरोधाभास आये हैं, उनका कोई लाभ अभियुक्तगण को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

बचाव पक्ष का तर्क है कि साक्षी पी०डब्लू० 04 ने उस स्थान (नूरपुर) का नक्शा नजरी नहीं बनाया, जहाँ से मृतक मुन्नालाल को अभियुक्तगण बुलाकर ले गए थे। पी०डब्लू० 04 ने यह स्वीकार किया है कि मृतक को घर से बुलाने का नक्शा उसके द्वारा नहीं बनाया गया, क्योंकि घटनास्थल थाना मिरहची क्षेत्र का था, वहीं का नक्शा उसके द्वारा बनाया गया। बचाव पक्ष का तर्क है कि लास्ट सीन के स्थान का नक्शा न बनाना गंभीर त्रुटि है, जो अभियोजन की कहानी को संदिग्ध बनाती है। विधि का यह सुस्थापित स्थापित सिद्धांत है कि विवेचनाधिकारी की त्रुटि का लाभ सीधे तौर पर अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता, बशर्ते कि चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य मजबूत हो। पी०डब्लू० 04 ने स्पष्ट कारण दिया है कि नूरपुर थाना सकीट क्षेत्र में आता था, जबकि शव थाना मिरहची क्षेत्र में मिला था, इसलिए उन्होंने केवल मुख्य घटनास्थल का नक्शा बनाया। उन्होंने यह भी कहा है कि विवेचना के दौरान वह नूरपुर गाँव कई बार गए थे। चूँकि पी०डब्लू० 01 व पी०डब्लू० 02 ने मौखिक साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्तगण नूरपुर से मृतक को ले गए थे, अतः केवल एक नक्शा नजरी न बनने से लास्ट सीन की चश्मदीद गवाही को असत्य नहीं माना जा सकता। पेज–07 पर पी०डब्लू० 04 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि लाश जंगल में मिलने के कारण उस स्थान पर कोई स्वतन्त्र साक्षी उपलब्ध नहीं था। चूँकि मृतक मुन्नालाल की लाश काजीखेड़ा नहर के किनारे जंगल में फेंकी गई थी। ऐसे एकांत स्थान पर किसी स्वतंत्र राहगीर या चश्मदीद गवाह का न मिलना व्यावहारिक रूप से संभव है।

प्रतिपरीक्षा के पेज–09 पर साक्षी पी0डब्लू0 04 के कथन के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवेचक ने वादिनी के ससुर डिप्टी सिंह को आरोप–पत्र में गवाह नहीं बनाया और उनका कोई बयान भी नहीं लिया और अभियोजन ने उन्हें इस मामले में परीक्षित भी नहीं कराया, जिससे मामला संदिग्ध हो जाता है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क में इसलिये बल नहीं है, क्योंकि साक्षी पी०डब्लू० 04 ने इस कथन का उत्तर दिया है कि इसकी वजह यह है कि या तो वह बुजुर्ग होंगे, या बयान देने की स्थिति में नहीं होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसार, तथ्यों को साबित करने के लिए गवाहों की संख्या नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता देखी जाती है। अतः डिप्टी सिंह का बयान न लेना अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है।

42क. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 05 एस0आई0 सत्य सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 29.05.2012 को एच०एम० के पद पर थाना मिरहची में तैनात था। वादिनी श्रीमती गीता की तहरीर पर उसके द्वारा अपराध संख्या–130/2012 को अभियुक्त कैलाश व सुन्दर, पप्पू उर्फ रामविलास के विरूद्ध धारा–302,201 भा०दं०सं० थाना मिरहची में पंजीकृत किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2012 दिनांक 29.05.2015 को

समय 17:35 बजे अभियुक्तगणों के खिलाफ उसके द्वारा तहरीर सूचना के आधार पर किता की गयी, जिसका खुलासा रपट नं०–32 समय 17.35 बजे रोजनामचा आम दिनांक 29.05.2012 थाना मिरहची पर किया गया है। उसके द्वारा आगमतुका व दाखिल एक किता तहरीर व कायमी मु०अ०प० सं०–130/2012 धारा–302, 201 भा०दं०सं० व रवानगी एस०ओ० मय फोर्स के घटनास्थल पर की गयी है। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं०–4अ उसके हस्तलेख में पत्रावली पर असल दाखिल है। गवाह ने कागज सं०–4अ/1 लगायत 4अ/2 को देखकर बताया कि यह वहीं सूचना रिपोर्ट है, जो उसके द्वारा किता की गयी, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया है। रोजनामाचा आम की छायाप्रति उसके द्वारा न्यायालय में प्रमाणित की गयी तथा अपने हस्तलेख को पहचाना, जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया तथा विवेचक ने उसका बयान लिया।

42ख. साक्षी पी0डब्लू0 05 एस0आई0 सत्य सिंह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि वह थाना मिरहची में बतौर हैड मुहर्रिर दिसम्बर 2011 से तैनात था। वादिया दिनांक 29.05.2012 को ही शाम को साढे पांच बजे तहरीर लेकर आयी। वह हेड मुहर्रिर होने के कारण कार्यालय में सुबह आठ बजे से लेकर रात ग्यारह बजे तक रहता था। वादिया ने उसे उक्त रपट की ही तहरीर कार्यालय में दी थी। वादिया की तहरीर की उसने आमद की। तहरीर की आमद करने में उसे कितना समय लगा था, इस समय ध्यान नहीं है। उसने तहरीर पर रिपोर्ट लिखने के बाद घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया था। उससे पूर्व उच्चाधिकारियों कों नहीं बताया था। आज वह असल जी०डी० लेकर नहीं आया है। उसने इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी०डी० लिखने के अलावा अन्य कोई कार्यवाही नहीं की। यह भी कहना सही है कि वह पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर नहीं गया था। उसका विवेचक ने किस तारीख को बयान किया था, ध्यान नही है। यह कहना सही है कि विवेचक ने उसक बयान थाने में ही लिया था। यह कहना गलत है कि आज वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

साक्षी पी0डब्लू0 05 द्वारा हत्या के मामले की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसकी कायमी जी0डी0 का लेखक है, जिन्हें इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 05 से पर्याप्त जिरह की गयी है, किंतु कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास इस साक्षी की साक्ष्य में नहीं आया है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती हो अथवा बचाव पक्ष के तर्कों को कोई बल मिलता हो अथवा जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता हो।

43क. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 06 एस0आई0 जसवन्त सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 10.06.2012 को वह थाना मिरहची पर बतौर एस0एस0आई0 के पद पर तैनात था। उसने मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्राप्त की थी, जो अ0सं0 130/2012 से संबंधित थी। धारा 302,201 भा0दं0सं0 से संबंधित थी। उक्त दिनांक को ही उसने नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ0आई0आर0 लेखक, सी0सी0 सुरेन्द्र सिंह तथा बयान अभियुक्त कैलाश का लेखबद्ध सी0डी0 के पर्चा सं0 01 में अंकित किया। दिनाक 12.06.2012 को बयान वादी एस0ओ0 श्री रामसिया मौर्य व

साक्षी कॉ0 क्लर्क विपिन कुमार, साक्षी कॉ0 क्लर्क कृपाल सिंह तथा साक्षी चालक संदीप कुमार का बयान लेकर सी0डी0 पर्चा सं0 02 में किया। उक्त दिनांक को ही वादी मुकदमा की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल करके नक्शा–नजरी बनाया, जो पत्रावली पर कागज सं0 8अ है, जो पत्रावली 345 / 2012 पर नक्शा–नजरी है। इस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। नक्शा–नजरी उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। उक्त दिनांक को ही समाई साक्ष्य रामवीर का लेकर अंकित किया गया। दिनांक 18.06.2012 को सी0डी0 के पर्चा सं0 03 में समस्त संकलित मौखिक एवं अभिलखेीय साक्ष्य के आधार पर उसने अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत् आरोप–पत्र सं0 59 / 2012 दिनांक 18.06.2012 को न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली पर कागज सं0 3अ उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। इस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया। दिनांक 19.07.2012 को एस0सी0डी00 प्रथम में दिनाक 17.07.2012 को प्राप्त अभियोजन स्वीकृति का आदेश प्राप्त करने के उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत की, जो पत्रावली पर कागज सं0 9अ है, जिस पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट लोकेश एम0 के हस्ताक्षर हैं, इस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया। फर्द के आधार पर अ0सं0 139 / 2012 का मुकदमा कॉ0 क्लर्क सुरेन्द्र सिंह ने धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत् पंजीकृत किया था, जो पत्रावली पर कागज सं0 4अ / 1 लगायत 4अ / 2 है, इस पर **प्रदर्श क–17** डाला गया। उक्त दिनांक को ही जी0डी0 की रपट सं0 27, समय 16:10 बजे किया गया था, जो पत्रावली पर कागज सं0 7अ / 1 है, जो असल के साथ समान प्रक्रम में तैयार की गयी है। समयावधि व्यतीत हो हो जाने के कारण असल जी0डी0 विनिष्ट की जा चुकी है। जी0डी0 की कार्बन प्रति पर **प्रदर्श क–18** डाला गया। कॉ0 क्लर्क सुरेन्द्र सिंह उसके साथ तैनात रहा है। वह उसका हस्तलेख व हस्ताक्षर अच्छे से पहचानता है। चिक व जी0डी0 कॉ0 क्लर्क सुरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर में है।

43ख. साक्षी पी0डब्लू0 06 एस0आई0 जसवन्त सिंह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि इस अपराध की विवेचना उसे दिनांक 10.06.2012 को ही थानाध्यक्ष के आदेश से मिली। वह थानाध्यक्ष के अधीन कार्यालय में तैनात था। यह कहना सही है कि विवेचना उसे मिलने के लिये थानाध्यक्ष का अलग से लिखित आदेश नहीं है। एफ0आई0आर0 पर विवेचक के कॉलम में उसका नाम अंकित है, जिस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ही फर्द बरामदगी है। फर्द बरामदगी तहरीर ही उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट है। यह कहना सही है कि बरामदशुदा माल आज न्यायालय में नहीं है। यह कहना सही है कि फर्द बरामदगी में जनता का कोई गवाह नहीं है। उसने वादी मुकदमा गवाहान के बयान थाने पर बैठकर दिनांक 12.06.2012 को लिये थे। उसने बरामदशुदा तमंचा व कारतूस विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा था। उसने दिनांक 12.06.2012 को सफाई साक्ष्य में साक्षी रामवीर का बयान अंकित किया था। यह कहना सही है कि गवाह रामवीर उपरोक्त घटना का साक्षी नहीं है। उसने गवाह रामवीर के अलावा किसी जनता के गवाह के बयान नहीं लिये थे। उसने विवेचना के उपरांत आरोप–पत्र दिनांक 18.06.21012 को लगा दिया था, जो पत्रावली पर कागज सं0 प्रदर्श क–15 संलग्न है। जिस दिन उसने आरोप–पत्र लगाया था, उस दिन उसे अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। करीब एक महीने बाद उसे अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह बात

सही है कि अभियोजन स्वीकृति टाईपशुदा है। जिला मजिस्ट्रेट के हस्तलेख में नहीं है। अभियोजन स्वीकृति पर तारीख 17.07.2012 व हस्ताक्षर हस्तलेख में हैं। जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने अभियोजन स्वीकृति पर हस्ताक्षर व तारीख उसके सामने नहीं लिखे थे। यह कहना सही है कि आरोप–पत्र उसने दिनांक 18.06.2012 को लगाया और अभियोजन स्वीकृति दिनांक 17.07.2012 को ली थी। यह कहना भी सही है कि उसके द्वारा न तो अभियुक्त कैलाश को गिरफ्तार किया गया, न ही उसके द्वारा कोई बरामदगी की गयी।

साक्षी पी0डब्लू0 06 आला–कत्ल बरामदगी के मामले मु०अ०सं० 139/2012 का विवेचक है, जिसके द्वारा आला–कत्ल बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–14 बनाया गया और अभियुक्त कैलाश के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप–पत्र (प्रदर्श क–15), अभियोजन स्वीकृति (प्रदर्श क–16), और आला–कत्ल बरामदगी की चिक व जी०डी० (प्रदर्श क–17 व प्रदर्श क–18) को साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कुछ विरोधाभास और विवेचनात्मक त्रुटियाँ उजागर की गयी हैं, किंतु ये प्रक्रियात्मक त्रुटियॉ हैं, इनसे मुख्य अपराध (हत्या) में प्रयुक्त हथियार की उस वास्तविक बरामदगी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और स्थापित विधि के अनुसार, विवेचक की किसी तकनीकी त्रुटि का अनुचित लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 06 से पर्याप्त जिरह की गयी है, किंतु कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास इस साक्षी की साक्ष्य में नहीं आया है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती हो अथवा बचाव पक्ष के तर्कों को कोई बल मिलता हो अथवा जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता हो।

44. यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा घटनास्थल से बरामद खून आलूदा व सादा मिट्टी को कब्जा पुलिस में लेकर मृतक के शव से बरामद वस्तुओं को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहॉ से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श क–19 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार वस्तु सं0 01, 02, 04 व 05 क्रमशः शर्ट, पैंट, अंगोछा व रूमाल पर मानव रक्त पाया गया तथा वस्तु सं0 03, 06 व 07 क्रमशः अंडरवीयर, काला धागा व मिट्टी खून आलूदा व सादा पर रक्त के धब्बे वियोजित पाये गये। इसी प्रकार अभियुक्त कैलाश सिंह से बरामदशुदा आला–कत्ल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहॉ से प्राप्त आख्या प्रदर्श क–20 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार देशी पिस्तौल को 1/13 से, चले कारतूस को ईसी–1 से व जीवित कारतूस को एलसी–1 से चिन्हित किया गया है। उक्त पिस्तौल से दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाये गये, जिन्हें टीसी–1 व टीसी–2 से चिन्हित किया गया है। विवादित कारतूस ईसी–1 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ कारतूसों टीसी–1 व टीसी–2 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान हैं। विवादित कारतूस ईसी–1 देशी पिस्तौल चिन्हित 1/13 से चलाया गया है।

इस प्रकार मृतक के शव से प्राप्त कपड़ों (शर्ट, पैंट, अंगोछा व रूमाल) पर मानव रक्त पाया जाना तथा मिट्टी पर रक्त के धब्बे मिलना यह सिद्ध करता है कि मुन्नालाल की हत्या उसी घटनास्थल पर कारित की गई थी। इसी क्रम में, अभियुक्त कैलाश के कब्ज़े से बरामद देशी पिस्तौल (1/13) से

चलाए गए परीक्षण कारतूसों (टीसी–1 व टीसी–2) पर उपस्थित फायरिंग पिन और ब्रीच के चिन्ह, मौके व अभियुक्त के पास से बरामद विवादित खोखा कारतूस (ईसी–1) के चिन्हों से शत–प्रतिशत समान पाए गए। इससे वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध होता है कि विवादित खोखा कारतूस अभियुक्त कैलाश से बरामद उसी देशी पिस्तौल से चलाया गया था। **विधि विज्ञान प्रयोगशाला की यह आख्याऍ अभियुक्त कैलाश और बरामद आला–कत्ल का संबंध मृतक मुन्नालाल की हत्या से सीधे और संदेह से परे जोड़ती है।**

45क. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू0 01 खान सहाय** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से करीब 13 वर्ष पहले की है। इस घटना से तीन वर्ष पूर्व उसके गॉव का कैलाश अपनी बहन के यहॉ सेवक थाना ढोलना, कासगंज में रहकर मजदूरी कर रहा था। उसका घर पर आना–जाना नहीं था, लेकिन इस मुकदमे की वादी मुकदमा, जो कि उसके गॉव के डिप्टी सिंह के लड़के रामनिवास की पत्नी है, ने मृतक मुन्नालाल की पत्नी बनकर के उपरोक्त मुकदमे में कैलाश को झूठा फंसाया है, जबकि इस घटना के 15 दिन बाद वादी मुकदमा गीता देवी ने अपने ससुर डिप्टी सिंह से रामनिवास की पत्नी बनकर के बैनामा दिनांक 16.06.2012 को लिखाया। इसी के कारण पूर्व में मुल्जिम कैलाश के पिता ने विरोध किया, जिस पर वादी मुकदमा ने मुल्जिम कैलाश को इस मुकदमे में झूठा फंसा लिया, जबकि कैलाश दिनांक 29.05.2012 को उसके गॉव में मौजूद नहीं था और न मुन्नालाल मृतक को गॉव से बुलाकर ले गया। मुन्नालाल मृतक उसके गॉव का कभी निवासी नहीं था। मुन्नालाल मृतक कुसाड़ी का रहने वाला था। मृतक मुन्नालाल का उसके गॉव में कभी आना–जाना नहीं था, मात्र मुल्जिम को तंग व परेशान करने एवं मुल्जिम के चाचा डिप्टी सिंह की सारी जमीन को हड़प लेने के लिये झूठा फंसाया गया है। उससे पुलिस ने पूछताछ की थी।

45ख. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू0 01 खान सहाय** ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि अभियुक्त कैलाश रिश्ते में उसका गॉव नाते भाई लगता है। वह और कैलाश दोनों नूरपुर के रहने वाले हैं। मृतक मुन्नालाल गॉव कुसाड़ी का रहने वाला था। मृतक मुन्नालाल को वह नहीं जानता, न ही उसके कभी गॉव में आता था। उसकी जानकारी में नहीं है कि अभियुक्त कैलाश और मृतक मुन्नालाल का कोई संबंध है। मुन्नालाल के मरने की खबर उसने गॉव वालों के मुॅह से सुनी थी। पुलिस वालों को उसने कोई बयान नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि वह अभियुक्त कैलाश से मिल गया है और झूठी गवाही दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि वह मुल्जिम का सगा भाई होने के कारण झूठी गवाही दे रहा है।

46क. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू0 02 चन्द्रपाल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब 12 वर्ष पहले की घटना है। उसके गॉव में मुन्नालाल मृतक व उसका परिवार कभी नहीं रहा और न मृतक उसके गॉव का मूल निवासी है, न उसके गॉव में मृतक का आना–जाना था। घटना से करीब 03 वर्ष पहले से उसके गॉव का कैलाश पुत्र मुरलीधर अपनी बहन गुड्डो देवी के घर पर रह रहा था और बहन के यहीं पर चकोरी प्लॉट पर मजदूरी करता था। चकोरी प्लॉट ग्राम सेवक थाना ढोलना, जिला कासगंज में मजदूरी करता था। इस मुकदमे के मृतक की मृत्यु कहॉ हुई,

कैंसे हुई, लेकिन मृतक की हत्या कैलाश ने नहीं की और न किसी प्रकार का कैलाश का इस घटना में कोई हाथ था, न ही कोई षड्यंत्र था। उसका इस घटना में विवेचक ने बयान लिया था, लेकिन लिखा नहीं है, तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। ये सब बातें उसने दरोगा जी को बताई थी। मुल्जिम कैलाश के ताऊ डिप्टी सिंह के लड़के रामनिवास की पत्नी गीता देवी थी और रामनिवास की मृत्यु होने के बाद गीता कैलाश के साथ घरौना करना चाहती थी, लेकिन कैलाश शादी–शुदा एवं बाल–बच्चेदार होने के कारण गीता पत्नी स्व0 रामनिवास से मना कर दिया। इस कारण गीता ने मृतक मुन्नालाल की पत्नी बनकर पुलिस में झूठा फंसवा दिया और उपरोक्त गीता ने इस घटना के बाद डिप्टी सिंह की जमीन का भी बैनामा करा लिया था। मृतक मुन्नालाल की कभी गीता देवी पत्नी न थी, न है। कथित गीता पत्नी रामनिवास से एक लड़की है। कैलाश की जमीन को हड़पने के लिये द्वेष–भावना से गीता ने मुन्नालाल की पत्नी बनकर इस मुकदमे में साजिशन झूठा फंसा दिया है। वह कैलाश के परिवार का नहीं है। वह बिना किसी जोर दबाव के न्यायालय में अपना बयान दे रहा है।

46ख. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू0 01 चन्द्रपाल** ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि गॉव नाते कैलाश उसके चाचा लगते हैं। मृतक मुन्नालाल कुसाडी का रहने वाला था। रामनिवास की मृत्यु के बाद गीता कैलाश से घरौना करना चाहती थी, लेकिन कैलाश ने मना कर दिया कि वह बाल–बच्चे वाला है, तब गीता ने घरौना मुन्नालाल से कर लिया। उसी रंजिश की वजह से कैलाश को झूठा फंसा दिया। दरोगा जी ने उसका बयान तो लिया था, लेकिन दरोगा जी ने क्यों नहीं लिखा, इसकी वह वजह नहीं बता सकता। आज उसे कोर्ट में मुरलीधर बुलाकर लाये हैं। यह कहना गलत है कि वह और कैलाश एक गॉव के होने के नाते कोर्ट में झूठी गवाही दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि वह कैलाश का चाचा होने की वजह से अदालत में झूठी गवाही दे रहा है।

जहॉ तक बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी0डब्लू0 01 व डी0डब्लू0 02 का प्रश्न है, यह दोनों ही गवाह अभियुक्त कैलाश के गाँव के रिश्तेदार (क्रमशः भाई व चाचा) हैं तथा पूर्णतः हितबद्ध साक्षी हैं। दोनों गवाहों ने मुख्य रूप से अभियुक्त कैलाश के अन्यत्र उपस्थिति (Alibi) का बचाव लिया है कि घटना के समय एवं उससे तीन वर्ष पूर्व से कैलाश अपनी बहन (गुड्डो देवी) के यहाँ जनपद कासगंज में मजदूरी कर रहा था, परंतु इस तथ्य की पुष्टि हेतु न तो उस बहन को न्यायालय में परीक्षित कराया गया और न ही वहाँ निवास या मजदूरी का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इन गवाहों ने वादिनी गीता द्वारा अभियुक्त कैलाश को रंजिशन झूठा फंसाने के अलग–अलग कारण बताए हैं। जहाँ डी०डब्लू० 01 ने जमीन के बैनामे के विवाद को कारण बताया है। साक्षी डी0डब्लू0 01 का यह कथन अभियोजन के इस कथन की पुष्टि करता है कि मृतक मुन्नालाल की हत्या जमीनी रंजिश के कारण अभियुक्तगण द्वारा की गयी थी।

47. इस प्रकार यद्यपि वर्तमान प्रकरण परिस्थिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का विधि–व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुक्रम में विश्लेषण किए जाने से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्ष्य से मृतक मुन्नालाल को अभियुक्त कैलाश, सुन्दर व पप्पू उर्फ

रामविलास को घटना वाले दिन सुबह 08:00 उसके घर से बुलाकर ले जाया जाना, उसी दिन मृतक मुन्नालाल की हत्या होना तथा चिकित्सीय साक्ष्य से मृतक की मृत्यु का संभावित समय सुबह के लगभग 09:00 बजे के आस–पास होना, अभियुक्त कैलाश के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा की बरामदगी होना तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–19 व प्रदर्श क–20 के अवलोकन से घटना में अभियुक्त के पास से बरामद तमंचे का हत्या में प्रयोग किया जाना तथा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का स्पष्ट हेतुक होना अभियुक्त कैलाश के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साक्ष्यों की स्वाभाविक श्रृंखला को पूर्ण करता है तथा अभियुक्त द्वारा मृतक मुन्नालाल की हत्या किए जाने के तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में सफल रहा है।

45. उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में सहअभियुक्त रामविलस उर्फ पप्पू एवं सुरेन्द्र की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध सत्र परीक्षण की कार्यवाही पूर्व के आदेशानुसार उपशमित की जा चुकी है।

49. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य में अनुक्रम में यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त कैलाश के विरुद्ध लगाए गये आरोप भा0दं0सं0 की धारा 302 / 34,201 व धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपित आरोप को साबित कर पाने में सफल रहा है, जिसके कारण अभियुक्त कैलाश भा0दं0सं0 की धारा 302 / 34,201 व धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपित आरोप में दोषसिद्ध एवं दण्डित किये जाने योग्य हैं।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, उपरोक्त मामले में उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्त **कैलाश** को **भा०दं०सं० की धारा 302 / 34** व **आयुध अधिनियम की धारा 25** के आरोपित आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त कैलाश पूर्व से कारागार में निरूद्ध है।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली 12:30 पी0एम0 पर पेश हो।

दिनाँकः 10.08.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2008

12:30 पी0एम0

10.08.2026

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अत्यन्त गरीब हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त के प्रति दण्ड के प्रश्न पर उदारतापूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाकर, उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने की मांग की गई है, जबकि अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त के प्रति उदारतापूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये जाने का कोई

औचित्य नहीं है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा से दण्डित किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अभियुक्त कैलाश को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अतिरिक्त भा0दं0सं0 की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है। भा0दं0सं0 की धारा 302/34 में न्यूनतम दण्ड आजीवन कारावास प्राविधानित है तथा यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुये निम्नलिखित दण्डादेश दिया जाना उचित होगा।

आदेश

अभियुक्त **कैलाश** को **भारतीय दण्ड संहिता धारा 302/34** के तहत **आजीवन कारावास** व प्रत्येक को 25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 06 माह (छः माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास का अधिभोगी होगा।

अभियुक्त **कैलाश** को अपराध अंतर्गत **धारा 25 आयुध अधिनियम** के तहत् **01 वर्ष (एक वर्ष)** के **सश्रम कारावास** व **5,000/– रूपये** (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का अधिभोगी होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त की सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त को उक्त निर्णय/आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त को कार्यालय द्वारा सजायाबी वारण्ट बनाकर दण्ड भुगतने के लिये जिला कारागार, एटा भेजा जाये।

माल मुकदमाती व वस्तु प्रदर्शों का निस्तारण इस निर्णय के विरूद्ध अपील योजित होने तक न किया जाये तथा अपील योजित होने पर इनका निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण सं0 345/2012, राज्य बनाम कैलाश की पत्रावली पर भी रखी जाये।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जाये।

दिनाँकः 10.08.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2008

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 10.08.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2008